16/2/16

संख्या : 183 /XVII-3/2016–07(37)/2013

प्रेषक,

डॉ. भूपिन्दर कौर औलख,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1– **निदेशक,**
अल्पसंख्यक कल्याण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

2– **समस्त जिलाधिकारी,**
उत्तराखण्ड।

अल्पसंख्यक कल्याण अनुभाग **देहरादून : दिनांक : 15 फरवरी, 2016**

विषयः प्रदेश में गरीबी की रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के परिवारों की मेधावी बालिकाओं की शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु ''मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना'' के क्रियान्वयन के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल प्रदेश में गरीबी की रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के परिवारों की मेधावी बालिकाओं की शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु ''मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना'' को क्रियान्वित किए जाने हेतु सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। उक्त योजना का क्रियान्वयन वित्तीय वर्ष एवं शैक्षणिक सत्र 2015–16 से निम्नलिखित मार्गदर्शक निर्देशों के अन्तर्गत किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा : –

1. उपरोक्त योजना के अन्तर्गत उत्तराखण्ड माध्यमिक शिक्षा बोर्ड/मदरसा बोर्ड की हाई स्कूल परीक्षा अथवा समकक्ष मुंशी/मौलवी एवं इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष आलिम परीक्षा में संस्थागत अभ्यर्थी के रूप में 60 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिकाओं को विशेष अनुदान के रूप में निम्नवत धनराशि उपलब्ध करायी जाएगी :–

परीक्षा का स्तर	60 प्रतिशत या अधिक प्राप्ताकों पर देय धनराशि रु0 में	70 प्रतिशत या अधिक प्राप्ताकों पर देय धनराशि रु0 में	80 प्रतिशत या अधिक प्राप्ताकों पर देय धनराशि रु0 में
हाई स्कूल या मुंशी या मौलवी	10,000	15,000	20,000
इण्टरमीडिएट या आलिम	15,000	20,000	25,000

2. योजना के संचालन/क्रियान्वयन हेतु मेधावी बालिकाओं का चयन करके पात्र अभ्यर्थियों के अनुदान की स्वीकृति हेतु प्रत्येक जनपद के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन निम्नवत किया जाएगा :–

क्रमशः.....

संख्या : 1158 / XVII-3 / 2016–07(37) / 2013

प्रेषक,

डॉ. भूपिन्दर कौर औलख,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

अल्पसंख्यक कल्याण अनुभाग देहरादून : दिनांक : 23 अगस्त, 2016

विषयः प्रदेश में गरीबी की रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के परिवारों की मेधावी बालिकाओं की शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु "मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना" के क्रियान्वयन के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या 183 / XVII-3 / 2016–07(37) / 2013 दिनांक 15.02.2016 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा प्रदेश में गरीबी की रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के परिवारों की मेधावी बालिकाओं की शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु "मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना" को क्रियान्वित किए जाने हेतु स्वीकृति प्रदान करते हुए, योजना का क्रियान्वयन वित्तीय वर्ष / शैक्षणिक वर्ष 2015–16 से किए जाने हेतु मार्गदर्शक निर्देश निर्गत किए गये हैं।

2– इस संबंध में सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त योजना के सुगमतापूर्वक एवं सुचारू क्रियान्वयन हेतु उपरोक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 15.02.2016 के निम्नांकित तालिका के स्तम्भ–2 पर अंकित प्रस्तरों को स्तम्भ–3 पर अंकित संशोधित प्रस्तरों से प्रतिस्थापित किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं : –

क्र. सं.	गाइडलाइन संबंधी शासनादेश दिनांक 15.02.2016 की वर्तमान व्यवस्था	प्रतिस्थापित व्यवस्था
1	2	3
1	प्रस्तर–3.2 – छात्रा के माता–पिता / अभिभावक गरीबी की रेखा के नीचे की श्रेणी में आते हो अथवा उनकी समस्त स्रोतों से वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में ₹ 81,000 / – (₹ इक्यासी हजार मात्र) तथा शहरी क्षेत्र में ₹ 1,03,000 / – (₹ एक लाख तीन हजार मात्र) से कम हो। अग्रेतर यह भी कि उक्त आय सीमा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा चलायी गयी छात्रवृत्ति योजना के अनुरूप होगी।	प्रस्तर–3.2 – छात्रा के माता–पिता / अभिभावक गरीबी की रेखा के नीचे की श्रेणी में आते हो अथवा उनकी समस्त स्रोतों से वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में ₹ 81,000 / – (₹ इक्यासी हजार मात्र) तथा शहरी क्षेत्र में ₹ 1,03,000 / – (₹ एक लाख तीन हजार मात्र) से कम हो।

क्रमशः...

2	प्रस्तर–3.3 – आय प्रमाण पत्र राजस्व विभाग के सक्षम अधिकारी, जिसका स्तर तहसीलदार से कम न हो, के द्वारा प्रदत्त ही मान्य होगा, जिसे आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जायेगा।	प्रस्तर–3.2 – आय प्रमाण पत्र राजस्व विभाग के सक्षम अधिकारी, जिसका स्तर तहसीलदार से कम न हो, के द्वारा प्रदत्त ही मान्य होगा, जिसे छात्रा द्वारा योजनान्तर्गत पात्र/अर्ह पाए जाने के उपरान्त यथाप्रकिया मांगे जाने पर प्रस्तुत किया जाएगा।
2	प्रस्तर–3.7 – योजना का लाभ मेरिट सूची के आधार पर दिया जायेगा अर्थात प्राप्त आवेदनपत्रों में से पात्रता की श्रेणी के अन्तर्गत आने वाली छात्राओं की प्रवीणता सूची (मेरिट सूची) तैयार की जायेगी। योजना का लाभ उपलब्ध बजट धनराशि के सापेक्ष उसी वित्तीय वर्ष में दिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। अवशेष आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।	प्रस्तर–3.7 – योजना का लाभ मेरिट सूची के आधार पर दिया जायेगा। योजना का लाभ उपलब्ध बजट धनराशि के सापेक्ष उसी वित्तीय वर्ष में दिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
3	प्रस्तर–3.8 – पुरस्कार हेतु मेधावी छात्राओं का चयन प्रवीणता सूची के अनुसार आवेदन पत्र प्राप्त होने के आधार पर "पहले आओ–पहले पाओ" नीति से उपलब्ध बजट की सीमा के अन्तर्गत किया जायेगा।	प्रस्तर–3.8 – पुरस्कार हेतु मेधावी छात्राओं का चयन संबंधित परीक्षा बोर्ड की प्रवीणता सूची के अनुसार उपलब्ध बजट की सीमा के अन्तर्गत किया जायेगा।
4	प्रस्तर–5 – हाईस्कूल परीक्षा/मुंशी/मौलवी एवं इण्टरमीडिएट आलिम परीक्षा में 60 प्रतिशत अथवा उससे अधिक अंक से उत्तीर्ण बालिकाओं के आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर आमंत्रित किये जायेंगे। राज्य स्तर तथा जनपद स्तर पर विज्ञापनों का प्रकाशन प्रत्येक वर्ष 31 जुलाई तक प्रदेश में प्रकाशित होने वाले दो प्रमुख हिन्दी समाचार पत्रों के माध्यम से किया जायेगा। आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि 31 अगस्त निर्धारित की जायेगी। जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा पात्र बालिकाओं का चयन तथा चयनित सूची का प्रकाशन 30 सितम्बर तक कर लिया जायेगा तथा भुगतान की प्रक्रिया 31 अक्टूबर तक पूर्ण कर ली जायेगी।	प्रस्तर–5 – जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा बोर्ड की मेरिट सूची के आधार पर पात्र/चयनित बालिकाओं की संस्तुति के उपरान्त भुगतान की प्रक्रिया दिनांक 31 अगस्त तक पूर्ण कर ली जायेगी।

क्रमशः...

5	प्रस्तर–7 – उक्त योजनान्तर्गत समस्त आवेदन पत्रों का संग्रहण संबंधित खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय पर किया जायेगा। आवेदन पत्र जनप्रतिनिधियों एवं अन्य माध्यमों से जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय/जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालयों में सीधे नहीं भेजे जायेगें। यदि कोई आवेदन पत्र डाक से जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय/जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय को प्राप्त होता है, तो उसे विलम्बतम एक सप्ताह के भीतर संबंधित खण्ड विकास अधिकारी को प्रेषित कर दिया जायेगा। खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय में आवेदन पत्रों को पंजीकृत किये जाने हेतु एक रजिस्टर रखा जायेगा एवं आवेदन प्राप्त होने पर आवेदन पत्र को रजिस्टर में क्रमबद्ध रूप से पंजीकृत करते हुए प्राप्ति का दिनांक व समय भी अंकित किया जायेगा तथा उक्त पंजीकरण संख्या को आवेदन पत्र पर भी अंकित किया जायेगा। खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा सत्यापन के बाद ही समस्त आवेदन जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय/जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराये जायेंगे।	प्रस्तर–7 – निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तराखण्ड द्वारा सचिव, उत्तराखण्ड शिक्षा एवं परीक्षा परिषद, रामनगर एवं निदेशक, उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद, देहरादून से राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय प्रवीणता सूची समयबद्ध रूप से संकलित कर दिनांक 31जुलाई से पूर्व जिला स्तर पर गठित समिति के सदस्य सचिव को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे एवं सदस्य सचिव द्वारा इस संबंध में अग्रेतर कार्यवाही सम्पादित की जाएगी।

3– उक्त शासनादेश दिनांक 15.02.2016 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाएगा तथा शेष सभी मार्गदर्शक निर्देश यथावत लागू रहेंगे।

भवदीय,

(डॉ. भूपिन्दर कौर औलख)
सचिव।

क्रमशः...

संख्या : —— (1)/XVI(3)/2016 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. आयुक्त, कुमाऊं/गढवाल मण्डल, नैनीताल/पौड़ी।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. समस्त मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. समस्त जिला अल्पसंख्यक/समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
10. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(मौ. ओबेदुल्ला अंसारी)
अनु सचिव।

1. जिलाधिकारी	–	अध्यक्ष
2. मुख्य विकास अधिकारी	–	सदस्य
3. मुख्य शिक्षा अधिकारी	–	सदस्य
4. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी/ जिला समाज कल्याण अधिकारी	–	सदस्य सचिव

3. उक्त योजना के अन्तर्गत मेधावी छात्राओं की पात्रता की मुख्य शर्ते निम्नवत होंगीः–

1. योजनान्तर्गत अल्पसंख्यक समुदाय की ऐसी छात्राऐं पात्र होंगी, जिन्होंने उत्तराखण्ड माध्यमिक शिक्षा परिषद, रामनगर/उत्तराखण्ड मदरसा बोर्ड के अधीन किसी विद्यालय/कालेज/मान्यता प्राप्त मदरसा से हाई स्कूल/मुंशी/ मौलवी एवं इण्टरमीडिएट/आलिम परीक्षा संस्थागत छात्रा के रूप में 60 प्रतिशत अथवा उससे अधिक अंकों से उत्तीर्ण की हो।
2. छात्रा के माता–पिता/अभिभावक गरीबी की रेखा के नीचे की श्रेणी में आते हो अथवा उनकी समस्त स्रोतों से वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में रु0 81,000/– (रु0 इक्यासी हजार मात्र) तथा शहरी क्षेत्र में रु0 1,03,000/– (रु0 एक लाख तीन हजार मात्र) से कम हो। अग्रेतर यह भी कि उक्त आय सीमा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा चलायी गयी छात्रवृत्ति योजना के अनुरूप होगी।
3. आय प्रमाण पत्र राजस्व विभाग के सक्षम अधिकारी, जिसका स्तर तहसीलदार से कम न हो, के द्वारा प्रदत्त ही मान्य होगा, जिसे आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जायेगा।
4. योजना के अन्तर्गत संस्थागत अविवाहित छात्राएं पात्र होंगी, जिनकी आयु अनुदान स्वीकृत होने के वर्ष 01 जुलाई को 20 वर्ष से अधिक न हो।
5. छात्रा अल्पसंख्यक समुदाय की होनी चाहिए जिस हेतु छात्रा को अल्पसंख्यक होने का प्रमाण संलग्न करना होगा।
6. योजना के अन्तर्गत समिति द्वारा चयनित प्रत्येक छात्रा को उक्त प्रस्तर 1 पर अंकित तालिका के अनुसार धनराशि स्वीकृत की जायेगी। पात्र छात्रा को प्रोत्साहन की धनराशि बैंक खाते में ऑनलाइन हस्तान्तरित की जाऐगी।
7. योजना का लाभ मेरिट सूची के आधार पर दिया जायेगा अर्थात प्राप्त आवेदनपत्रों में से पात्रता की श्रेणी के अन्तर्गत आने वाली छात्राओं की प्रवीणता सूची (मेरिट सूची) तैयार की जायेगी। योजना का लाभ उपलब्ध बजट धनराशि के सापेक्ष उसी वित्तीय वर्ष में दिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। अवशेष आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
8. पुरस्कार हेतु मेधावी छात्राओं का चयन प्रवीणता सूची के अनुसार आवेदन पत्र प्राप्त होने के आधार पर ''पहले आओ–पहले पाओ'' नीति से उपलब्ध बजट की सीमा के अन्तर्गत किया जायेगा।

क्रमशः.....

9. पूर्णकालिक/अंशकालिक रूप से सेवायोजित छात्रा इस सुविधा हेतु अर्ह नहीं होगी।
10. एक दम्पत्ति की अधिकतम दो पुत्रियों को ही इस योजना से लाभान्वित किया जायेगा।

4. छात्रा द्वारा जिस वित्तीय वर्ष में हाई स्कूल/मुंशी/मौलवी एवं इण्टरमीडिएट/आलिम की परीक्षा पास की हो, उसी वित्तीय वर्ष में अनुदान स्वीकृत किया जायेगा। राज्य सरकार की अन्य योजनाओं के अन्तर्गत लाभान्वित होने की दशा में भी इस योजना का लाभ अल्पसंख्यक वर्ग की छात्राओं को अनुमन्य होगा।

5. हाईस्कूल परीक्षा/मुंशी/मौलवी एवं इण्टरमीडिएट आलिम परीक्षा में 60 प्रतिशत अथवा उससे अधिक अंक उत्तीर्ण बालिकाओं के आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर आमंत्रित किये जायेंगे। राज्य स्तर तथा जनपद स्तर पर विज्ञापनों का प्रकाशन प्रत्येक वर्ष 31 जुलाई तक प्रदेश में प्रकाशित होने वाले दो प्रमुख हिन्दी समाचार पत्रों के माध्यम से किया जायेगा। आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि 31 अगस्त निर्धारित की जायेगी। जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा पात्र बालिकाओं का चयन तथा चयनित सूची का प्रकाशन 30 सितम्बर तक कर लिया जायेगा तथा भुगतान की प्रक्रिया 31 अक्टूबर तक पूर्ण कर ली जायेगी।

6. मेधावी छात्राओं के प्रोत्साहन से लाभान्वित करने की दृष्टि से प्रत्येक जनपद में हाईस्कूल, मुंशी/ मौलवी, इण्टरमीडिएट व आलिम के उच्चतम अंक प्राप्तकर्ता मेधावी अल्पसंख्यक छात्राओं को अर्थात इस प्रकार कुल 13 जनपद X 4 छात्राओं = 52 छात्राओं को प्रदेश स्तर पर समारोह आयोजन कर मा. मुख्यमंत्री जी अथवा मा. अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जी के हाथों पुरस्कारस्वरूप चेक वितरित किया जायगा। उक्त पुरस्कार वितरण कार्यक्रम 'अल्पसंख्यक अधिकार दिवस' समारोह के अवसर पर भी किया जा सकता है।

7. उक्त योजनान्तर्गत समस्त आवेदन पत्रों का संग्रहण सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय पर किया जायेगा। आवेदन पत्र जनप्रतिनिधियों एवं अन्य माध्यमों से जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय/जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालयों में सीधे नहीं भेजे जायेगें। यदि कोई आवेदन पत्र डाक से जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय/जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय को प्राप्त होता है, तो उसे विलम्बतम एक सप्ताह के भीतर सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी को प्रेषित कर दिया जायेगा। खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय में आवेदन पत्रों को पंजीकृत किये जाने हेतु एक रजिस्टर रखा जायेगा एवं आवेदन प्राप्त होने पर आवेदन पत्र को रजिस्टर में क्रमबद्ध रूप से पंजीकृत करते हुए प्राप्ति का दिनांक व समय भी अंकित किया जायेगा तथा उक्त पंजीकरण संख्या को आवेदन पत्र पर भी अंकित किया जायेगा। खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा सत्यापन के बाद ही समस्त आवेदन जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय/जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराये जायेंगे।

क्रमशः.....

8. योजना का कियान्वयन जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी के माध्यम से किया जायेगा तथा ऑडिट एवं निरीक्षण हेतु अभिलेख सुरक्षित रखे जायेंगे।

9. एक वित्तीय वर्ष में इस योजनान्तर्गत उपलब्ध धनराशि को अल्पसंख्यक जनसंख्या के अनुपात में अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय द्वारा विभिन्न जनपदों हेतु आवंटित कर दिया जायेगा।

10. इस योजना के क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर यदि कोई कठिनाई उत्पन्न होती हो या कोई संशोधन अपेक्षित हो तो निदेशालय द्वारा इस सम्बन्ध में निराकरण हेतु प्रस्ताव शासन के विचारार्थ सन्दर्भित किया जाएगा। इस सम्बन्ध में शासन द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा।

11. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्याः 364(P)/XXVII-I/2016 दिनांक : 11 फरवरी, 2016 द्वारा प्राप्त सहमति के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डॉ. भूपिन्दर कौर औलख)
सचिव।

संख्या : (1)/XVII(3)/2016 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. आयुक्त, कुमाऊं/गढवाल मण्डल, नैनीताल/पौड़ी।
5. समस्त मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. समस्त जिला अल्पसंख्यक/समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
8. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
9. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(बी. एस. बोरा)
उपसचिव।